

माननीय न्यायमूर्ति एन. के. सोधी और एन. के. सूद के समक्ष,

मैम चंद रोलेर फ्लोर मिल्स पी. वी. टी. लि.,- *याचिकाकर्ता*

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अन्य, -उत्तरदाता

C.W.P. 19467 of 1998

28 मार्च, 2000

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961-धारा- 40-पंजाब कृषि उपज बाजार (सामान्य) नियम, 1962-rules -31 (13) (i), 23 और 40-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 अपील के वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए गए प्रतिवादी द्वारा लगाए गए मूल्यांकन आदेश को चुनौती देते हुए रिट-मुख्य प्रशासक ने अपील को खारिज कर दिया और आर. एल. के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने के लिए याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना आवेदन पर रोक लगा दी। **रूल्स 31 (13) (i)-रूल्स 31 (13) (i)** किसी अपील के मनोरंजन के लिए पूर्ण रूप से निर्धारित शुल्क की पूर्व जमा राशि की शर्त लगाता है-अपील का अधिकार-विधानमंडल ऐसे अधिकार के प्रयोग के लिए शर्तें लगा सकता है। **31 (13) (i)** अधिकारिता के भीतर माना गया-याचिकाकर्ता इस तारीख तक निर्धारित शुल्क जमा करने में विफल रहा-विलंबित अपील पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के पास कोई विवेकाधिकार नहीं होने पर, उसे सीमा के आधार पर खारिज करना होगा-रिट खारिज।

माना जाता है कि नियम 31 के उप नियम (13) (i) के प्रावधानों को सरलता से पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निर्धारित शुल्क की राशि का पूर्व जमा एक अपील के मनोरंजन के लिए एक शर्त है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि अपील का अधिकार एक क्लानून का निर्माण है। इस तरह के अधिकार का निर्माण करने वाले वैधानिक प्रावधान के बिना पीड़ित व्यक्ति अपील दायर करने का हकदार नहीं है। इसके अलावा अपील का अधिकार देते समय विधायिका के लिए इस तरह के अधिकार के प्रयोग के लिए शर्तें लागू करने का भी अधिकार है। ऐसी शर्तों को लागू करने में कोई कानूनी या संवैधानिक बाधा नहीं है। इसलिए, हम याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि नियम 31 के उप नियम (13) (i) के प्रावधान जो किसी अपील के मनोरंजन के लिए एक शर्त के रूप में निर्धारित शुल्क के भुगतान के लिए एक शर्त लागू करते हैं, अधिकार से बाहर है।

(पैरा 5)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी अपील पर तब विचार किया जाता है जब उसे विचार के लिए स्वीकार किया जाता है न कि जब उसे दायर किया जाता है। आगे यह तय करने के लिए कि किसी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना है या नहीं, यह होगा

सुनवाई की तारीख तय करना और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से देखने पर आम तौर पर हम सुनवाई की तारीख पहले तय किए बिना निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने के आधार पर अपील को खारिज करने वाले मुख्य प्रशासक के आदेश को दरकिनार कर देते हैं। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम महसूस करते हैं कि कोई भी उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, भले ही मामला मुख्य प्रशासक को बहाल कर दिया गया हो, अपील को खारिज करना होगा क्योंकि याचिकाकर्ता ने इस तारीख तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया है। नियम 40 (2) में दी गई अपील दायर करने की सीमा की अवधि 30 दिन है और अपील प्राधिकरण को सीमा की अवधि से परे अपील पर विचार करने के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार, भले ही अपील को खारिज करने के आदेश को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर न देने के तकनीकी आधार पर अलग रखा जाना था, वही परिणाम सामने आएगा क्योंकि भले ही याचिकाकर्ता अब निर्धारित शुल्क जमा करता है, अपील को उस तारीख को दायर

Mam Chand Roller Flour Mills Pvt. Ltd. v. Chief Administrator, Haryana 193
State Agricultural Marketing Board & others (N.K. Sud, J.)

क्रिया गया माना जाएगा जब शुल्क जमा किया जाता है यह निश्चित रूप से नियम 40 (2) के अनुसार सीमा की अवधि से परे होगा। विलंबित अपील पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के पास किसी भी विवेकाधिकार के अभाव में, अपील को सीमा के आधार पर खारिज करना होगा।

(पैरा 8)

राजेश बिंदल, याचिकाकर्ता के लिए वकील

के. के. गुप्ता, प्रतिवादीगण के वकील।

निर्णय

एन. के. सूद, जे.

(1) याचिकाकर्ता कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत पंजीकृत है और हरियाणा राज्य में बाजार समिति, सदौरा के अधिसूचित बाजार क्षेत्र के भीतर कृषि उपज की बिक्री, खरीद, भंडारण और प्रसंस्करण में काम कर रहा है। बाजार समिति के प्रशासक सदौरा ने 1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1997 की अवधि के लिए एक आकलन क्रिया और याचिकाकर्ता पर देय कुल बाजार शुल्क 1,62,836.89 निर्धारित किया। जिसमें से याचिकाकर्ता ने रु 38, 139.74 जमा करा दिए। इस प्रकार, 1, 24, 697.15 रु याचिकाकर्ता से वसूली योग्य के रूप में निर्धारित किया गया था। याचिकाकर्ता को गलत विवरणी जमा करने के लिए दंड के रूप में समान राशि के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी ठहराया गया था। याचिकाकर्ता ने 12 सितंबर, 1997 के मूल्यांकन आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष 1997 का सी. डब्ल्यू. पी. 15384 दायर किया। उक्त रिट याचिका को 13 अक्टूबर, 1997 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि एक अपील विचारणीय नहीं थी। मूल्यांकन के आदेश के विरुद्ध सक्षम और याचिकाकर्ता ने उस उपाय का लाभ नहीं उठाया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला के अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर की। अपील के साथ 14 अक्टूबर, 1997 का एक आवेदन भी था जिसमें अनुरोध किया गया था कि अपील के लंबित रहने के दौरान बाजार शुल्क और जुर्माने की राशि की वसूली पर रोक लगाई जाए। स्थगन आवेदन और अपील को मुख्य प्रशासक द्वारा खारिज कर दिया गया था- उनके 22 अक्टूबर, 1998 के आदेश के अनुसार निम्नलिखित शर्तों में:—

“सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपील करने से पहले बाजार शुल्क जमा करने के लिए P.A.P.M (G) नियम 1962 के नियम 31 (13) (i) में अनिवार्य प्रावधान है। चूंकि आपने बाजार शुल्क जमा नहीं किया है, इसलिए आपकी अपील खारिज कर दी जाती है। रोक लगाने का आवेदन भी खारिज कर दिया जाता है।”

(2) यह एक ऐसा आदेश है जो वर्तमान याचिका में दायर किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से श्री राजेश बिंदल विद्वान वकील पेश हुए और तर्क दिया कि मुख्य प्रशासक ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपील और स्थगन आवेदन को खारिज करना उचित नहीं था। उनके अनुसार भले ही पंजाब कृषि उपज बाजार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 31 के उप नियम (13) (i) में (संक्षेप में "नियम") यह प्रावधान है कि किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारित शुल्क की राशि पूरी तरह से जमा नहीं की गई हो, फिर भी जब विवादित मांग की वसूली पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ अपील के साथ एक आवेदन दायर किया गया था, तो मुख्य प्रशासक पर यह दायित्व था कि वह याचिकाकर्ता को सुनने का अवसर देने के बाद पहले रोक आवेदन का निपटारा करे। यदि वह प्रार्थना स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं था, तो उसे याचिकाकर्ता को शुल्क जमा करने का अवसर देना चाहिए था। यह तर्क दिया गया कि स्थगन आवेदन और अपील को एक साथ खारिज करने में मुख्य प्रशासक की कार्यवाही, इसलिए, समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ थी। इस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता के

विद्वत् वकील ने श्याम किशोर और अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम और एक अन्य¹ मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर और ए. एन. जेड. ग्रिडलाक्स बैंक लिमिटेड, अमृतसर बनाम नगर निगम, अमृतसर और अन्य² और श्री मार्कंडे मेटल (भारत) मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भी भरोसा रखा। प्रा. लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य³। तब यह तर्क दिया गया कि कर लगाने के लिए आकलन तैयार किया गया था और अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित नियम 31 के उप नियम (8) और (9) के तहत जुर्माना और इस तरह के आदेश के अपील योग्य नहीं होने को वर्तमान रिट याचिका में वैध रूप से चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि केवल धारा 13 के तहत एक समिति द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील प्रदान की गई थी, जबकि मूल्यांकन आदेश अधिनियम की धारा 23 के तहत तैयार किया गया था। तब यह तर्क दिया गया कि नियम 31 का उप नियम (13) (i) अधिकार से बाहर है क्योंकि यह अधिनियम के प्रावधानों को ही ओवरराइड करता है। उनके अनुसार अधिनियम की धारा 40, जो अपील दायर करने का प्रावधान करती है, में शुल्क के पूर्व-जमा के बारे में कोई शर्त नहीं है, और इसलिए, नियमों में अपील दायर करने की प्रक्रिया निर्धारित करते समय, ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं की जा सकती है।

(1) एस. प्रतिवादीगण के वकील के. के. गुप्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलों का खंडन किया। उनके अनुसार नियम 31 के उप नियम (13) (i) के प्रावधान स्पष्ट हैं और जब तक निर्धारित शुल्क की राशि पूरी तरह से जमा नहीं की गई है, तब तक अपील पर विचार करने के लिए मुख्य प्रशासक के पास कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ते हैं और न ही वे याचिकाकर्ता को शुल्क का भुगतान किए बिना अपील पर विचार करने के लिए आवेदन करने का कोई अधिकार प्रदान करते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि 14 अक्टूबर, 1997 (अनुलमक पी-7) के स्थगन के आवेदन में कर के भुगतान के बिना अपील के मनोरंजन के लिए प्रार्थना भी नहीं थी। यह केवल अपील के लंबित रहने के दौरान मांग पर रोक लगाने के लिए एक प्रार्थना थी। इस प्रकार, उनके अनुसार, मुख्य प्रशासक को न्यायसंगत ठहराया गया था। अपील का मनोरंजन नहीं करना। विद्वान वकील ने यह भी बताया कि 13 अक्टूबर, 1997 को 1997 की पूर्व सिविल रिट याचिका संख्या 15384 को खारिज करने के बाद याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सका कि मूल्यांकन आदेश अपील योग्य नहीं था। रिट याचिका को खारिज करते हुए इस अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि स्वीकार्य रूप से एक अपील मूल्यांकन के विवादित आदेश के खिलाफ सक्षम है और याचिकाकर्ता को अपील में पहले उपाय का लाभ उठाना चाहिए। विद्वान वकील ने यह भी बताया कि नियम 31 के उप नियम (13) (i) के प्रावधानों को अधिकार से बाहर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अधिनियम की धारा 40 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है और यह उप नियम ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसके अलावा, निर्धारित शुल्क के भुगतान की आवश्यकताओं को अनुचित रूप से कठिन नहीं कहा जा सकता है ताकि अपील के अधिकार को पूरी तरह से भ्रामक बनाया जा सके।

(2) हमने पक्षकारों के वकील को सुना है और संबंधित अभिलेखों का अध्ययन किया है। अधिनियम की धारा 40 में एक समिति द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का प्रावधान है और नियमों के नियम 31 और नियम 40 के उप नियम (13) में उस तरीके को निर्धारित किया गया है जिसमें ऐसी अपील दायर की जानी है और उससे निपटा जाना है। सुविधा के लिए प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

इसके अंतर्गत:—

धारा 40

“धारा 13 के तहत समिति द्वारा पारित आदेश या धारा 33 की उप-धारा (5) के तहत पारित आदेश पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित तरीके से बोर्ड में अपील कर सकता है और अपील पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।”

¹ A.I.R. 1992 S.C. 2279

² 1999 (1) 121 P.L.R. 254

³ 1995 (2) A.I.J 743

नियम 31 का उप नियम (13)

“(13) (i) उप नियम (8) और (9) के तहत किए गए मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील बोर्ड के मुख्य प्रशासक के पास होगी/ऐसी किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक ने अपनी ओर से निर्धारित शुल्क की पूरी राशि संबंधित समिति के पास जमा नहीं कर दी हो।

(11) बोर्ड का मुख्य प्रशासक अपीलार्थी को सुनने के बाद और मूल्यांकन करने वाली समिति को भी, या यदि वह आवश्यक समझता है, तो ऐसी जांच के बाद जिसके खिलाफ अपील की गई है, मूल्यांकन आदेश को स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार कर सकता है।

(111) बोर्ड का मुख्य प्रशासक उप नियम (9) के तहत लगाए गए जुर्माने के पूरे या एक हिस्से को ऐसे मामले में माफ कर सकता है, जहां इस तरह के जुर्माने का अर्थ उसके निर्णय में अपीलार्थी के लिए अनुचित कठिनाई होगी।

(112) मुख्य प्रशासक द्वारा पारित आदेश अंतिम और निर्णायक होगा।”

नियम 40

“40. अपील के लिए प्रक्रिया-(1) धारा 10 की उप-धारा (4), धारा 29 की उप-धारा (3) और धारा 40 के तहत की गई प्रत्येक अपील पर एक रुपये की अदालत शुल्क की मुहर लगेगी और अपीलकर्ता या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा एक ज्ञापन के रूप में अपील प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी। ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से उस आदेश पर आपत्ति के आधारों का उल्लेख किया जाएगा जिसके खिलाफ अपील की गई है और इसके साथ ऐसे आदेश की एक प्रति भी होगी।

(2) धारा 40 के तहत अपील दायर करने की सीमा आदेश के खिलाफ अपील की तारीख से तीस दिन होगी।

(3) अधिनियम के तहत अपील दायर करने की अवधि या सीमा की गणना करने में आदेश की प्रति प्राप्त करने में खर्च की गई अवधि को बाहर रखा जाएगा।

(4) अपील का निर्णय संबंधित पक्षों को नोटिस देने और सुनने के बाद किया जाएगा, यदि वे चाहते हैं, और ऐसी आगे की जांच करने के बाद जो अपीलीय प्राधिकरण आवश्यक समझे।

(5) अपील पर निर्णय की एक प्रति बोर्ड या संबंधित समिति को निःशुल्क प्रदान की जाएगी, और न्यूनतम एक रुपये के अधीन पचास पैसे प्रति पृष्ठ या उसके एक हिस्से के भुगतान पर अपीलार्थी को मांगी जाएगी।”

(6) उपरोक्त प्रावधानों के एक सादे अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निर्धारित शुल्क की राशि का पूर्व जमा एक अपील के मनोरंजन के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि अपील का अधिकार एक कानून का निर्माण है। इस तरह के अधिकार का निर्माण करने वाले वैधानिक प्रावधान के बिना पीड़ित व्यक्ति अपील दायर करने का हकदार नहीं है। इसके अलावा अपील का अधिकार देते समय विधायिका के लिए इस तरह के अधिकार के प्रयोग के लिए शर्तें लागू करने का भी अधिकार है। इस तरह की शर्त को लागू करने में कोई कानूनी या संवैधानिक बाधा नहीं है। इसलिए, हम याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि नियम 31 के उप नियम (13) (i) के प्रावधानों में किसी अपील के मनोरंजन के लिए पूर्ववर्ती शर्त के रूप में निर्धारित शुल्क के भुगतान के लिए एक शर्त लागू करना अनुचित है। हम इस ओर से श्यामी किशोर बनाम दिल्ली नगर निगम, (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ के अधिकार से मजबूत हैं।

(7) हम श्री से भी सहमत हैं। प्रतिवादीगण के विद्वान वकील के. के. गुप्ता ने कहा कि 1997 के सी. डब्ल्यू. पी. 15384 को इस आधार पर खारिज करने के बाद कि अपील का एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, याचिकाकर्ता के लिए वर्तमान रिट याचिका में एक बार फिर यह तर्क देने के लिए खुला नहीं था कि मूल्यांकन आदेश अधिनियम के तहत अपील योग्य नहीं था। गुण-दोष पर भी हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील का यह तर्क कि धारा 23 के साथ पठित नियम 31 के तहत किया गया मूल्यांकन का आदेश उन आदेशों के दायरे में नहीं आता था, जिसके खिलाफ धारा 40 के तहत अपील दायर की जा सकती थी। धारा 40 के एक सादे पाठ से पता चलता है कि यह धारा 13 के तहत एक समिति द्वारा पारित आदेश के खिलाफ

अपील का प्रावधान करता है। धारा 13 की उप-धारा (1) निम्नानुसार है:—

“13 (1) यह एक समिति का कर्तव्य होगा -

- (a) अधिसूचित बाजार क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और उपनियमों को लागू करना और जब बोर्ड द्वारा ऐसा आवश्यक हो, तो उसमें एक बाजार स्थापित करना, जिसमें खरीद, बिक्री, भंडारण, तौल के संबंध में आने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं।
और प्रसंस्करण/बोर्ड समय-समय पर संबंधित कृषि उपज के बारे में निर्देश दे;
- (b) बाजार में प्रवेश को नियंत्रित और विनियमित करना, बाजार के उपयोग के लिए शर्तों को निर्धारित करना और वैध लाइसेंस के बिना व्यक्तिगत व्यापार से संबंधित कृषि उपज पर मुकदमा चलाना या जब्त करना;
- (c) समिति की ओर से या बोर्ड द्वारा निर्देशित किए जाने पर किसी भी वाद, कार्यवाही, कार्यवाही, आवेदन या मध्यस्थता को लाने, मुकदमा चलाने या बचाव करने में लाने, मुकदमा चलाने या बचाव करने या सहायता करने के लिए।”

खंड (क) से यह स्पष्ट है कि एक समिति अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और उप-कानूनों को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। नियम 31 के साथ पठित धारा 23 के तहत मूल्यांकन तैयार करते समय समिति अधिनियम और नियमों के तहत अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है और इस तरह इन प्रावधानों के तहत पारित मूल्यांकन आदेश को स्पष्ट रूप से धारा 13 के तहत समिति द्वारा पारित आदेश माना जा सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में भी, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क किसी भी योग्यता से रहित है।

- (7) हमारे विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या प्रशासक को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने के आधार पर अपील को खारिज करने में उचित ठहराया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क यह है कि निर्धारित शुल्क के पूर्व जमा के बारे में नियम 31 के उप-नियम (13) (i) की आवश्यकता अपील के मनोरंजन के लिए है न कि अपील को भरने के लिए। अपील पर विचार करने का चरण अपील दायर करने के चरण के बाद होता है। उच्चतम न्यायालय ने लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड बनाम **असिस्टेंट कमिश्नर**⁴ मामले में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के समान प्रावधान की व्याख्या ने निर्णय के पैराग्राफ 7 और 10 में 'मनोरंजन' शब्द का अर्थ इस प्रकार समझाया था:—

“(7) • प्रारम्भ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परंतुक में केवल यह अपेक्षा की गई है कि अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ अपीलार्थी द्वारा स्वीकार की गई कर राशि के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न हो। इस प्रकार एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस संदर्भ में 'मनोरंजन' शब्द का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब यह है कि कोई अपील प्राप्त नहीं की जाएगी या दायर नहीं की जाएगी या क्या इसका मतलब यह है कि जब तक संतोषजनक सबूत उपलब्ध न हो तब तक कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी या सुनी नहीं जाएगी और उसका निपटारा नहीं किया जाएगा।

'मनोरंजन' शब्द का शब्दकोश अर्थ पक्षों द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया था, और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि इसका अर्थ या तो 'विचार से निपटना या स्वीकार करना' है। हमारा भी यही मत है। अतः सवाल यह है कि किस स्तर पर अपील को परंतुक के आवेदन के उद्देश्य के लिए स्वीकार किया जा सकता है? जब इसे स्वीकार किया जाता है और सुनवाई के लिए तारीख तय की जाती है तो क्या इसका 'मनोरंजन' किया जाता है या जब इसे सुना जाता है

⁴ A.I.R. 1968 S.C 488

और निपटया जाता है तो क्या अंत में इसका 'मनोरंजन' किया जाता है? कानून की रिपोर्टों में कई मामले मौजूद हैं जिनमें 'मनोरंजन' शब्द या इसी तरह के संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों की अदालत द्वारा व्याख्या की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ही उनमें से कुछ को हमारे संज्ञान में लाया गया है और हम उचित समय पर उनसे निपटेंगे। वर्तमान में, हमें यह कहना होगा कि यदि विधायिका का इरादा था कि 'फाइल या रिसीव' शब्द का उपयोग किया जाए, तो उन शब्दों का उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं थी। कुछ कानूनों में जो हमारे ध्यान में लाए गए थे, वास्तव में ऐसी अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है।"

“(10) जब परंतुक अपील के मनोरंजन की बात करता है, तो इसका मतलब है कि दायर की गई अपील को तब तक विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि स्वीकृत कर जमा करने का संतोषजनक प्रमाण उपलब्ध न हो।”

(8) हम इसलिए याचिकाकर्ता के इस आग्रह से सहमत नहीं हैं कि अपील को तब स्वीकार किया जाता है जब इसे विचार के लिए स्वीकार किया जाता है, न कि जब इसे दायर किया जाता है। इसके अलावा यह तय करने के लिए कि किसी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना है या नहीं, सुनवाई की तारीख तय करना और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक होगा। इस दृष्टिकोण से देखने पर आम तौर पर हम सुनवाई की तारीख पहले तय किए बिना निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने के आधार पर अपील को खारिज करने वाले मुख्य प्रशासक के आदेश को दरकिनार कर देते हैं। हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम महसूस करते हैं कि कोई भी उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, भले ही मामला मुख्य प्रशासक को बहाल कर दिया गया हो, अपील को खारिज करना होगा क्योंकि याचिकाकर्ता ने इस तारीख तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया है। अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान, जैसा कि पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि नियम 40 (2) में प्रदान की गई अपील दायर करने की सीमा की अवधि 30 दिन है और अपील प्राधिकरण को सीमा की अवधि से परे अपील करने का कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार, भले ही अपील को खारिज करने के आदेश को याचिकाकर्ता को सुने जाने का अवसर न देने के तकनीकी आधार पर अलग रखा जाना था, वही परिणाम सामने आएगा क्योंकि

यदि याचिकाकर्ता अब निर्धारित शुल्क जमा करता है, तो यह माना जाएगा कि अपील उस तारीख को दायर की गई थी जब शुल्क जमा किया गया था। यह निश्चित रूप से नियम 40 (2) के अनुसार सीमा की अवधि से परे होगा। विलंबित अपील पर विचार करने के लिए अपीलार्थी प्राधिकारी के पास किसी भी विवेकाधिकार के अभाव में, अपील को सीमा के आधार पर खारिज करना होगा। हम जो विचार ले रहे हैं, वह लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कानून के अनुरूप है। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों पर विचार कर रहा था, जिसमें यह प्रावधान था कि आदेश की प्रति या मूल्यांकन की सूचना की सातवीं तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है। उक्त धारा के परंतुक के अनुसार किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ स्वीकृत कर के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न हो। उस मामले में, अपील दायर करने से पहले कर जमा किया गया था, लेकिन अपील के साथ आवश्यक प्रमाण संलग्न नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय में जो विचार प्रचलित था वह यह था कि कर को अपील दायर करने के लिए निर्धारित सीमा अवधि के भीतर जमा किया गया था और इस तरह अपील के ज्ञापन के साथ अपने भुगतान के प्रमाण को संलग्न करने में विफलता केवल एक तकनीकी दोष था जो ज्ञापन को दोषपूर्ण बना सकता था। वास्तव में इस निर्णय के अनुच्छेद 9 और 13 में पृष्ठ 492 और 493 पर यह अंतर स्पष्ट रूप से नीचे दिया गया था:—

“(9) पवन राम बनाम कुंज बिहारीलाल, ए. आई. आर. 1962 में रिपोर्ट किए गए उसी अदालत के एकल पीठ के फैसले में हम सभी 42 (न्यायमूर्ति भार्गव) को एक ही नियम पर विचार करना था। वहाँ सीमा अवधि के भीतर जमा नहीं किया गया था और सवाल उठा था कि क्या अदालत आवेदन पर विचार कर सकती है या नहीं। यह निर्णय लिया गया कि आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि परंतुक (बी) अदालत को किसी आपत्ति पर विचार करने से रोकता है जब तक कि निर्धारित समय के भीतर राशि जमा करने या संप्रदाय प्रस्तुत करने की आवश्यकता का

पालन नहीं किया जाता है। उस मामले में 'मनोरंजन' शब्द की व्याख्या नहीं की जाती है, लेकिन यह माना जाता है कि अदालत कानून द्वारा अनुमत समय के भीतर जमा किए जाने के अभाव में आवेदन पर विचार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती है। इस मामले ने इस तथ्य को उजागर किया कि जमा समय से बाहर किया गया था।”

“(13) हमारी राय है कि यहाँ "मनोरंजन" शब्द का अर्थ पहला अवसर है जिस पर अदालत मामले को विचार के लिए लेती है। यह स्वीकार करने के चरण में हो सकता है या यदि उस न्यायाधिकरण के नियमों के अनुसार अपील स्वचालित रूप से स्वीकार कर ली जाती है, तो यह अपील की सुनवाई का समय होगा।

लेकिन पहले अवसर पर जब अदालत मामले को विचार के लिए लेती है, तो संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि कर का भुगतान अपील के लिए उपलब्ध सीमा की अवधि के भीतर किया गया था।” (जोर दिया गया)।

(9) इसलिए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि किसी अपील पर विचार करने के समय भी जो सत्यापित किया जाना है वह यह है कि क्या राशि का भुगतान अपील दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर किया गया था या नहीं। वर्तमान मामले में यह पहले ही देखा जा चुका है कि न केवल निर्धारित शुल्क नियम 40 (2) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर जमा नहीं किया गया था, बल्कि इस तारीख तक भी उसका भुगतान नहीं किया गया है।

(10) हम याचिकाकर्ता की ओर से उद्धृत मामले के कानून पर भी विचार कर सकते हैं जो स्पष्ट रूप से अलग है। श्याम किशोर के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली नगर निगम अधिनियम (1957) की धारा 170 के प्रावधानों पर विचार कर रहा था जो इस प्रकार है:

“10. अपील करने के अधिकार की शर्तें।

धारा 169 के तहत अपील की सुनवाई या निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(a) अपील, संपत्ति कर के मामले में, धारा 14 के तहत निर्धारण सूची के प्रमाणीकरण की तारीख के बाद अगले तीस दिनों के भीतर (उसमें प्रासंगिक प्रविष्टियों की एक प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर) या, जैसा भी मामला हो, उस तारीख से तीस दिनों के भीतर, जिस दिन धारा 126 के तहत अंत में एक संशोधन किया जाता है, और किसी अन्य कर के मामले में, निर्धारण की सूचना या मूल्यांकन में परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने की तारीख के बाद अगले तीस दिनों के भीतर या यदि कोई सूचना नहीं दी गई है, तो पहले बिल के प्रस्तुत होने की तारीख के बाद तीस दिनों के भीतर या, जैसा भी मामला हो, उसके संबंध में मांग की पहली सूचना:

बशर्ते कि इस धारा द्वारा इसके लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील स्वीकार की जा सकती है यदि अपीलार्थी अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण था।

(b) अपील में विवादित राशि, यदि कोई हो, अपीलार्थी द्वारा निगम के कार्यालय में जमा की गई है।”

इस निर्णय के पैरा 41 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:—

“हमें ऐसा लगता है कि धारा 170 (बी) के शब्द व्यापक व्याख्या करने में सक्षम हैं। धारा 170 के अवलोकन से पता चलता है कि यह धारा किसी अपील के संबंध में तीन अलग-अलग अभिव्यक्तियों "सुनी गई या निर्धारित", "लाई गई" और "स्वीकार की गई" का उपयोग करती है और "सुनी गई और निर्धारित" अभिव्यक्ति के उपयोग के साथ

कुछ महत्व जोड़ा जाना चाहिए। इसी तरह की स्थितियों में, अन्य कानून जैसे कि इस न्यायालय द्वारा लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में विचार किया गया। सहायक कमांडर। बिब्री कर (ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 488) और कुछ अन्य अधिनियमों जैसे बॉम्बे और कलकत्ता नगर निगम अधिनियमों में निहित कर का भुगतान नहीं किए जाने पर अपील के मनोरंजन को विशेष रूप से प्रतिबंधित करते हैं। जब डी. एम. सी. अधिनियम ने सावधानीपूर्वक उस शब्द के उपयोग से परहेज किया है, तो हमें अंतर शब्दों को पूरा प्रभाव देना चाहिए। इसके अलावा, खंड (ए) के समान परंतुक के खंड (बी) में एक भाषा की अनुपस्थिति जो इंगित करती है कि सीमा की अवधि से परे दायर की गई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि देरी को माफ नहीं किया जाता है, यह भी एक निष्कर्ष देता है कि विवादित कर का भुगतान अपील के मनोरंजन या प्रवेश के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। वर्तमान वैधानिक संदर्भ में, यह कहना प्रशंसनीय लगता है कि ऐसी अपील को स्वीकार किया जा सकता है या उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन केवल विवादित कर की पूर्व-जमा राशि के बिना सुनवाई या निपटान नहीं किया जा सकता है। इस तरह की व्याख्या प्रावधान की कठोरता से कुछ बहुत आवश्यक राहत प्रदान करेगी। ऐसे दिन नहीं हैं जिनमें संपत्ति कर की गणना सरल और सरल होती है; संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण, सिवाय इसके कि जब संपत्ति से प्राप्त वास्तविक किराए के आधार पर, विभिन्न व्यक्तिपरक कारक शामिल होते हैं और अक्सर नहीं, देय होने के लिए स्वीकार किए गए कर और मांगे गए कर के बीच एक विस्तृत खाई होती है। कभी-कभी, निर्धारिती को लगातार कई वर्षों तक मांगे गए कर का भुगतान करने के लिए मजबूर करना उसे पूरी तरह से पंगु बना सकता है। इसके अलावा, एक निर्धारिती अपील दायर करते समय कर जमा करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन सामान्य पाठ्यक्रम में सुनवाई के लिए अपील आने से पहले थोड़े समय के भीतर या किसी भी दर पर इसका भुगतान करने में सक्षम हो सकता है। प्रावधान का इतना कठोर अर्थ लगाने का कोई कारण नहीं है कि वह ऐसा करने से अक्षम हो जाए। पुनः, जब कोई अपील सुनवाई के लिए आती है, तो अपीलीय न्यायाधीश, उपयुक्त मामलों में, जहां उसे लगता है कि कुछ बड़ी कठिनाई या अन्याय शामिल है, कुछ के लिए अपील को स्थगित करने के लिए इच्छुक हो सकता है।

निर्धारिती को कर का भुगतान करने में सक्षम बनाने का समय। यद्यपि अपील के स्थगन को प्रोत्साहित करना समीचीन या उचित नहीं होगा, जहां वह अन्यथा सुनवाई के लिए तैयार है, केवल इस आधार पर और निश्चित रूप से, एक व्याख्या जो इस संबंध में न्यायिक विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए कुछ जगह छोड़ती है, जहां मामले की समानताएं इसके योग्य हैं, अनुचित नहीं हो सकता है। अपीलीय न्यायाधीश की आनुषंगिक और सहायक शक्तियों को कानून द्वारा विशेष रूप से बाधित सीमा के अलावा कम नहीं किया जाना चाहिए। हम इस प्रावधान की व्याख्या करने में कुछ भी गलत नहीं देखते हैं कि अपीलीय प्राधिकरण को अपील की सुनवाई स्थगित करने की अनुमति दी जाए ताकि निर्धारिती को कर का भुगतान करने के लिए समय दिया जा सके या यहां तक कि विशेष रूप से समय या क्रिश्तें दी जा सकें ताकि निर्धारिती विवादित कर को जमा कर सके जहां मामला योग्य हो, जब तक कि यह अपील में अनुचित रूप से हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन अपील के निपटारे तक कर की वसूली पर रोक लगाने से कम होना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह न्यायाधीश के लिए एक बात है कि वह सुनवाई को स्थगित कर दे और इसे निर्धारिती पर छोड़ दे कि वह स्थगित तिथि से पहले कर का भुगतान करे या निर्धारिती को अपील की सुनवाई से पहले अपने निर्देशों के अनुसार कर का भुगतान करने की अनुमति दे। ऐसा करने में, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं, तो वह विभाग को कर की वसूली करने से नहीं रोकता है और न ही रोक सकता है। वह निर्धारिती को केवल तभी कर का भुगतान करने का मौका दे रहा है जब वह चाहता है कि अपील पर सुनवाई हो। हालांकि, न्यायाधीश के लिए अपील के निपटारे तक वसूली पर रोक लगाना पूरी तरह से अलग बात है; जिसके परिणामस्वरूप परंतुक की भाषा को पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा: “कर का भुगतान होने तक किसी भी अपील का निपटारा नहीं किया जाएगा। हालांकि, इससे कम, शक्तियों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने का कारण है; उसे केवल यह सुनिश्चित करना है कि जब तक अपील की सुनवाई वास्तव में उसके गुण-दोष पर की जाती है, तब तक विवाद में संपूर्ण कर का भुगतान किया जाए। इसलिए, हम S.170 की धारा (बी) को केवल अपील की सुनवाई और गुण-

दोष पर इसके निपटारे के लिए एक बाधा के रूप में पढ़ेंगे, न कि अपील के मनोरंजन के लिए एक बाधा के रूप में”

इसलिए, यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय "सुना या निर्धारित" अभिव्यक्ति के साथ काम कर रहा था, न कि उस अभिव्यक्ति के साथ जिसके साथ हम इस मामले में चिंतित हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं इन अभिव्यक्तियों में अंतर लाया है। इसके अलावा धारा 170 के खंड (ए) ने अपीलीय प्राधिकारी को निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार करने का विवेकाधिकार प्रदान किया यदि अपीलार्थी देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखा सकता है। हालांकि, नहीं।

ऐसा विवेकाधिकार पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 के तहत अपीलीय प्राधिकरण में निहित है।

- (11) ए. एन. जेड. ग्रिडलेज बैंक लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में यह न्यायालय पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 146 और 147 के प्रावधानों पर विचार कर रहा था। यहाँ फिर से, सीमा की अवधि के बाद अपील पर विचार करने का विवेकाधिकार अपीलीय प्राधिकरण को प्रदान किया गया था यदि अपीलार्थी देरी को पर्याप्त मामले के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है। इसके अलावा उस मामले में अपीलकर्ता द्वारा 5 अगस्त, 1997 को अपील दायर करने से पहले कर जमा करने में विफलता के आधार पर अपील खारिज कर दी गई थी और याचिकाकर्ता ने अगले ही दिन 6 अगस्त, 1997 को विवादित राशि जमा कर दी थी और उसके बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अपीलीय आदेश को दरकिनार करते समय यह उन प्रमुख विचारों में से एक था जिन पर इस न्यायालय ने विचार किया। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने इस तारीख तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया है, भले ही उसकी अपील 22 अक्टूबर, 1998 को खारिज कर दी गई हो।
- (12) एस में इस अदालत का निर्णय। मार्कडे मेटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का मामला (उपरोक्त) भी याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। उस मामले में कानून का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। इस न्यायालय का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में राहत देने वाले मामले की विशेष परिस्थितियों पर आधारित था। इस मामले को किसी भी कानूनी प्रस्ताव पर अधिकार नहीं कहा जा सकता है।
- (13) दलीलों के समापन के बाद याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अथुर बनाम सेनगोडा गौंडर और अन्य⁵ में मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को भी हमारे संज्ञान में लाया है। यह मामला मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के प्रावधानों से संबंधित है, जिसमें अपील दायर करने की सीमा निर्धारित की गई है और अपील पर विचार करने से पहले एक निश्चित राशि जमा करने की आवश्यकता भी है। यहाँ फिर से उच्च न्यायालय को एक विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है कि वह सीमा की समाप्ति के बाद भी एक अपील पर विचार करे यदि देरी का एक पर्याप्त कारण दिखाया जा सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि रुपये के भुगतान की शर्त 25,000 या प्रदत्त राशि का 50 प्रतिशत "उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके से" जमा किया जाना था। इन शब्दों की व्याख्या इस अर्थ में की गई थी कि भुगतान के तरीके के बारे में निर्देश उच्च न्यायालय से आता है जो केवल तभी किया जा सकता है जब अपील पर विचार किया जाए। वास्तव में इस निर्णय के पैरा 16 में, विद्वत् एकल न्यायाधीश ने तमिल राज्य में उस न्यायालय के एक अन्य मामले का उल्लेख किया है। तमिल नाडु राज्य बनाम नाडु बनाम ई. पी. नवाब मरकडाई⁶ जो हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करता है। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1959 का 1) के तहत निर्धारित कर अपील दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की समाप्ति के बाद जमा किया गया था, अपील पर विचार नहीं किया

⁵ 1999 (1) I.C.C. 110

⁶ (1996) S.T.C. 1

Mam Chand Roller Flour Mills Pvt. Ltd. v. Chief Administrator, Haryana 201
State Agricultural Marketing Board & others (N.K. Sud, J.)

जा सकता था। उक्त मामले को निर्णय के पैरा 16 में निम्नानुसार अलग किया गया था:—

“जब हम तमिलनाडु राज्य बनाम ई. पी. नवाब मार्कडाई, (1996) 100 एस. टी. सी. 1 में दर्ज मामले पर वापस आते हैं, तो मामले के तथ्य उस मामले पर लागू नहीं होते हैं जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है। उक्त मामला सेक के परंतुक से संबंधित है। तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1959 का 1) की धारा 31 (1) वहाँ परंतुक में उपयोग किए गए शब्द हैं "इस उप-धारा के तहत किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसके साथ अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किए गए कर के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न हो।" अपील (ज्ञापन) के साथ भुगतान के लिए प्रमाण होना चाहिए। लेकिन मोटर वाहन अधिनियम, 1998 की धारा 173 के प्रावधान में, राशि के भुगतान के संतोषजनक प्रमाण के साथ ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, उपरोक्त पूर्ण पीठ मामले में, अपील को प्राथमिकता देने की समय सीमा 30 दिन है और देरी को माफ करने के लिए न्यायालय को दिया गया विवेकाधिकार 15 दिनों तक सीमित है। यही कारण है कि विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“यह इस प्रकार है कि-यदि स्वीकृत कर का भुगतान अपील दायर करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की अवधि से अधिक और 15 दिनों की आगे की अवधि से अधिक किया जाता है, जिसके संबंध में केवल अपीलीय प्राधिकरण के पास देरी को माफ करने की शक्ति है, तो अपीलीय प्राधिकरण को अपील को अनिवार्य रूप से अस्वीकार करना होगा क्योंकि यह सीमा द्वारा वर्जित है।”

लेकिन, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अनुसार, अपील 90 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है, इसके अलावा यदि किसी भी समय तक देरी होती है तो पर्याप्त कारण होने पर इसे माफ किया जा सकता है।”

इस प्रकार, यह प्राधिकरण वास्तव में याचिकाकर्ता के पक्ष में जाता है और हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

(14) हम, इसलिए, इस याचिका को खारिज करते हैं जिसे उसे खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है। ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा